भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 46

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

तमिलनाडु में ई-श्रम योजना

46. श्री नवसकनी के.:

श्री जी. सेल्वम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य में आज की तारीख तक जारी किए गए ई-श्रम कार्डों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में ई-श्रम योजना के अंतर्गत पोर्टल में पंजीकृत विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उनका लिंगवार और आयुवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का व्यापक पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष पहल की है या जागरूकता अभियान चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में ई-श्रम कार्डधारकों को वर्तमान में प्रदान की जा रही कल्याणकारी योजनाओं और लाभों का ब्यौरा क्या है, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच शामिल है;

(ङ) क्या सरकार ने ई-श्रम योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में पात्र श्रमिकों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने में किसी कमी या चुनौती की पहचान की है; और

(च) यदि हां, तो उक्त कमी या चुनौती के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए/ किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार के साथ जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है।

दिनांक 15 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.94 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं और तमिलनाडु राज्य में 92.87 लाख से अधिक ई-श्रम कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

जारी..2/-

तमिलनाडु में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित कामगारों की संख्या तथा विस्तृत ब्यौरा एवं उनका महिला-पुरुष और आयु-वार ब्यौरा अनुबंध-I, अनुबंध-II और अनुबंध-III में दिया गया है।

बजट घोषणा, वर्ष 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम - "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

तमिलनाडु में ई-श्रम कार्ड धारकों को लाभ और सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करने के लिए अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं:

ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों का व्यापक पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए और ई-श्रम के तहत तमिलनाडु में पात्र कामगारों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों या चुनौतियों का समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक आयोजित करना.
ii. सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ नियमित बैठक।
iii. रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
iv. पेंशन योजना के तहत नामांकन को सुविधा जनक बनाने के लिए, ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) के साथ एकीकृत किया गया है।
v. सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर खोज और जानकारी प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

जारी..3/-

vi. जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।

vii ई-श्रम पर पंजीकरण हेतु कामगारों में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। असंगठित कामगारों के सहायता प्राप्त पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाओं को शामिल किया गया है।

viii. ई-श्रम को नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग ऐप) पर भी शामिल किया गया है, ताकि कामगारों के बीच पहुंच बढ़ाई जा सके और उनके मोबाइल पर सुविधानुसार पंजीकरण/अद्यतन सुविधा प्रदान की जा सके।

ix. ई-श्रम पोर्टल की पहुँच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 7 जनवरी 2025 को भाषिणी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता शुरू की। इस सुविधा के माध्यम से अब कामगार 22 भारतीय भाषाओं में ई-श्रम पोर्टल से जुड़ सकते हैं, जिससे पहुँच में सुधार होगा और सभी के लिए समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

x. असंगठित कामगारों हेतु ई-श्रम और संबंधित सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 24 फरवरी 2025 को ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन ई-श्रम के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करता है, जिससे पहुंच और सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होता है।

***

*****

अनुबंध-I

"तमिलनाडु में ई-श्रम योजना" के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

तमिलनाडु में दिनांक 08.07.2025 तक ई-श्रम पर पंजीकृत विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित कामगारों की कुल संख्या:

क्र.सं	**व्यवसाय क्षेत्र**	**पंजीकरण की संख्या**
1	कृषि	53,92,466
2	परिधान	7,57,529
3	ऑटोमोबाइल और परिवहन	3,59,304
4	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा	1,994
5	सौंदर्य और स्वास्थ्य	36,094
6	पूंजीगत वस्तुएँ और विनिर्माण	1,48,714
7	निर्माण	10,82,030
8	घरेलू और पारिवारिक कामगार	1,23,450
9	शिक्षा	1,07,789
10	इलेक्ट्रॉनिक्स और गृह निर्माण	1,21,733
11	खाद्य उद्योग	62,615
12	रत्न और आभूषण	20,107
13	कांच और सिरामिक्स	2,751
14	हस्तशिल्प और कालीन	1,50,428
15	स्वास्थ्य सेवा	84,160
16	चमड़ा उद्योग कार्य	50,439
17	खनन	6,809
18	विविध	3,55,274
19	संगीत वाद्ययंत्र	3,601
20	कार्यालय प्रशासन और सुविधा प्रबंधन	1,60,420
21	संगठित खुदरा व्यापार	2,484
22	मुद्रण	23,797
23	निजी सुरक्षा	9,110
24	पेशेवर	29,702
25	खुदरा	67,731
26	सेवा	13,680
27	वस्त्र और हथकरघा	14,218
28	तंबाकू उद्योग	27,995
29	पर्यटन और आतिथ्य	58,237
30	लकड़ी और बढ़ईगीरी	2,770
	कुल योग	**92,77,431**

अनुबंध-II

"तमिलनाडु में ई-श्रम योजना" के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

दिनांक 08.07.2025 तक तमिलनाडु में ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की महिला-पुरूषवार कुल संख्या:

क्र. सं	**लिंग**	**पंजीकरण की संख्या**
1	महिला	59,11,785
2	पुरुष	33,64,423
3	अन्य	1,223
	महायोग	**92,77,431**

अनुबंध-III

"तमिलनाडु में ई-श्रम योजना" के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 08.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की आयु-वार कुल संख्या:

क्र.सं	**आयु (वर्षों में)**	**पंजीकरण संख्या**
1	17	1,166
2	18	7,320
3	19	26,604
4	20	56,138
5	21	88,520
6	22	121,803
7	23	145,773
8	24	159,610
9	25	185,292
10	26	168,516
11	27	183,490
12	28	187,868
13	29	192,146
14	30	201,210
15	31	201,023
16	32	207,764
17	33	218,643
18	34	228,624
19	35	247,814
20	36	238,958
21	37	247,964
22	38	247,931
23	39	283,021
24	40	308,750
25	41	277,864
26	42	282,791
27	43	265,209
28	44	290,415
29	45	317,194
30	46	226,641
31	47	237,464
32	48	215,339
33	49	285,073
34	50	327,246
35	51	210,233
36	52	226,092
37	53	202,780
38	54	260,813
39	55	305,915
40	56	169,231
41	57	174,895
42	58	141,480
43	59	206,837
44	60	239,297
45	60 से ऊपर	258,674
	कुल पंजीकरण	**9,277,431**

******